

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर०ए०एस०

निगरानी पंचायत प्रकरण सं० 51 / 2025

1. विनोद कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी वक 9 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. सन्दीप पुत्र मन्नीराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम बाबत गैरनिगरानीकर्ता के प्लॉटों के अवैध व फर्जी पट्टे को निरस्त करवाने बाबत।

उपस्थित :

1. श्री लखविन्द संधु अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री विरेन्द्र कुमार सिहाग अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेशः

दिनांक:-15.04.2026

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि :-

1. यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर से अपने नाम से प्लॉट संख्या संख्या-7 का आधा 372 वर्गगज का फर्जी पट्टा बनवा रखा है जिसकी फोटो प्रति सलंगन है।
2. यह गैरनिगरानीकर्ता ने अपने अतिक्रमण को स्थाई करने की नियत से एक झूठा मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 186/2023 थाना लालगढ जाटान में निगरानीकर्ता के विरुद्ध दर्ज करवाया लेकिन पुलिस ने गैरनिगरानीकर्ता का मुकदमा झूठा मानते हुए एफ.आर. न्यायालय में पेश कर दी जिसकी फोटो प्रति सलंगन है।
3. यह कि निगरानी उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है एवं उचित कोर्ट फीस पर पेश की जा रही है।

अतः निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पेश कर निवेदन है कि गैरनिगरानीकर्ता के नाम ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा जारी किये गये फर्जी पट्टे को खारिज करने की कृपा करें।


अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर



निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

गैरनिगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस निम्नप्रकार से है :-

1. यह कि निगरानीकर्ता विनोद के द्वारा श्रीमान न्यायालय में गैरनिगरानीकर्ता रणवीर के पट्टाशुदा भूखण्ड संख्या-7 का ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर, द्वारा जारीशुदा पट्टा संख्या 80 दिनांकित 06.01.2022 को निरस्त किये जाने के लिये धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. यह है कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर के द्वारा ग्राम पंचायत में आवासीय भूखण्डों पर पुराने कब्जा के आधार पर नियमन के लिये आवेदन किये जाने पर बाद जाँच धारा 157 पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम के सदस्यों को उनके भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये। गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा अपने 30 वर्षों से अधिक कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र मय समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र की जांच की गई, मौका का अवलोकन किया गया व सूचना प्रकाशित कर आपत्ति आमंत्रित की गई, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत की बैठक में विधिवत प्रस्ताव पारित कर सर्वसम्मति से पंचायती राज नियमानुसार गैरनिगरानीकर्ता के आवासीय भूखण्ड का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता के पक्ष में जारी किया गया।
3. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा गैरनिगरानीकर्ता के हक में जारीशुदा पट्टा को निरस्त करवाने के लिये प्रस्तुत की गई। वर्तमान निगरानी में यह कही भी वर्णित नहीं किया गया है कि किस प्रकार से गैरनिगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा विधि विरुद्ध है व निगरानीकर्ता किस प्रकार से जारीशुदा पट्टा से प्रभावित है। निगरानीकर्ता के द्वारा केवल मात्र गैरनिगरानीकर्ता को परेशान करने के लिये मिथ्या बिना किसी आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है। इसलिये आधारहीन निगरानी पर विधिवत नियमानुसार जारी पट्टा को निरस्त नहीं किया जा सकता।
4. यह कि गैरनिगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा वर्ष 2022 को जारी किया गया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अनुसार किसी आदेश व कार्यवाही के विरुद्ध नब्बे दिवस के भीतर निगरानी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, परन्तु निगरानीकर्ता के द्वारा वर्ष 2025 में वर्षों के अत्यधिक विलम्ब के बाद यह निगरानी प्रस्तुत की है। माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अनेको प्रकरण में यह प्रतिपादित किया है कि निगरानी शक्ति का प्रयोग 'उचित समय' के भीतर ही किया जाना चाहिए। निगरानीकर्ता द्वारा बिना किसी कारण के वर्षों के अत्यधिक विलम्ब के



2
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बाद यह निगरानी प्रस्तुत की है इसलिये विलम्ब से मियाद बाहर प्रस्तुत निगरानी निगरानीकर्ता खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह कि निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी में यह अंकित किया गया है कि एफआईआर संख्या 186/2023 पुलिस थाना लालगढजाटान द्वारा एफ.आर. न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करवाई गई थी। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि किसी फौजदारी प्रकरण में पुलिस द्वारा एफ.आर. प्रस्तुत करना व ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा जारी करना दोनों ही बिल्कुल भिन्न तथ्य है। तथा एफ.आई.आर. में पुलिस द्वारा एफ.आर. न्यायालय में प्रस्तुत करने से ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार जारीशुदा पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकता है। गैर निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध दर्ज करवाई गई एफ.आई.आर. की रंजिशवंश मिथ्या आधार पर तंग परेशान करने के लिये निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी दायर की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि निगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा बुक संख्या 2 पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को जारी किया गया था जो कि नियम विरुद्ध होने के कारण ग्राम के सदस्य के द्वारा उक्त पट्टा को निरस्त किये जाने के लिये श्रीमान न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी। श्रीमान न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 15.04.2025 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार करते हुये निगरानीकर्ता विनोद कुमार के हक में जारी किये गये पट्टा संख्या 80 दिनांक 22.02.2022 को खारिज किया गया। निगरानीकर्ता विनोद कुमार के हक में जारी पट्टा खारिज हो जाने के पश्चात् निगरानीकर्ता के द्वारा रंजिशवंश मिथ्या, बिना किसी आधार के नियमानुसार गैरनिगरानीकर्ता के हक में जारीशुदा पट्टा के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत कर तंग परेशान किया जा रहा है।


7. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नवीन तथ्यों का जवाब बरवक्त बहस अर्ज कर दिया जावेगा।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निगरानी निगरानीकर्ता अस्वीकार कर खारिज की जावे व अन्य कोई आदेश जो गैरनिगरानीकर्ता के हित में हो पारित किया जावे।

निगरानीकर्ता की ओर से लिखित बहस निम्नप्रकार से है :-

4. यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर से अपने नाम से प्लॉट संख्या-7 का आधा 372 वर्गगज का फर्जी पट्टा बनवा रखा है।

5. यह गैरनिगरानीकर्ता ने अपने अतिक्रमण को स्थाई करने की नियत से एक झूठा मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 186/2023 थाना लालगढ जाटान में



अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासक)
श्रीगंगानगर


निगरानीकर्ता के विरुद्ध दर्ज करवाया लेकिन पुलिस ने गैरनिगरानीकर्ता का मुकदमा झूठा मानते हुए एफ.आर. न्यायालय में पेश कर दी ।

6. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान के द्वारा जारी किया गया पट्टा प्रस्तुत किया है जबकि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान में उक्त पट्टे के सम्बन्ध में कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। इसलिए निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये पट्टे फर्जी होने के कारण खारिज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पन्नावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि हस्तागत निगरानी गैरनिगरानीकर्ता सन्दीप पुत्र मन्नीराम द्वारा ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान से प्लाट संख्या-7 का आधा 352 वर्गगज का पट्टा जो बनाया गया है के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता का अपनी बहस में यह कथन कि गैरनिगरानीकर्ता ने अपने अतिक्रमण को स्थाई करने की नियत से एक झूठा मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 186/2023 थाना लालगढ जाटान में निगरानीकर्ता के विरुद्ध दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने गैरनिगरानीकर्ता का मुकदमा झूठा मानते हुए एफ.आर. न्यायालय में पेश कर दी। पुलिस थाना लालगढजाटान की एफ.आई.आर. संख्या 186/2023 निम्नानुसार है :-



प्रकरण हाजा में कथित आरोपी रामप्रताप पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली के पास गांव पन्नीवाली जाटान में एक प्लाट 100x100 फुट का है, जिस पर करीब 50 वर्ष से रामप्रताप के परिवार का कब्जा था, पहले प्लाट के चारो तरफ कच्ची दीवार निकाली हुई थी, जो काफी पुरानी होने के कारण गिर गयी थी। करीब दो साल रामप्रताप के लड़के कथित आरोपीगण विनोद व उग्रसैन ने प्लाट पर सीमेंट के पीलर लगाकर तारबंदी कर दी थी और इसमें लकड़ी व कचरा वगैरा डालते है व प्लाट की सार सम्भाल करते है। अब ग्राम पंचायत के सरपंच ने रामप्रताप के लड़के विनोद कुमार व उग्रसैन के नाम से उक्त प्लाट में से आधे प्लाट का पट्टा जारी कर दिया था, तब विनोद व उग्रसैन द्वारा उक्त प्लाट पर कोई तारबंदी की गयी थी। उक्त प्लाट पर पूर्व से कच्ची चार दीवारी पुरानी होने के कारण गिर गयी थी, तब कथित आरोपीगण विनोद व उग्रसैन ने करीब दो साल पहले प्लाट पर सीमेंट के पीलर लगाकर तारबंदी कर दी थी, जो वर्तमान में भी मौजूद है। आरोप पक्ष द्वारा अपने प्लाट में लकड़ी व कचरा वगैरा डालते है, सरपंच द्वारा मुस्तगीस रणवीर सिहाग को केवल पट्टा जारी किया था, कब्जा नहीं दिया गया है। मगर उक्त प्लाट पर पिछले 50 साल से आरोपी पक्ष के परिवार का कब्जा है। मुस्तगीस रणवीर ने उस प्लाट पर किसी प्रकार की कोई चार दीवारी व तारबंदी करना नहीं पाया गया है। इस प्रकार अनुसंधान से पाया गया है कि मुस्तगीस रणवीर को ग्राम पंचायत से पट्टा मिलने के बाद प्लाट पर कब्जा नहीं मिला था, तब रणवीर ने मनगढ़त कहानी बनाकर प्लाट का कब्जा लेने का दबाव बनाने के लिए विनोद कुमार वगैरा पर तारबंदी की तार व पीलर चारी आदि का यह झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अतः नतीजा आखरी अदम वकू (झूठ) जरिये एफ.आर. नम्बर 240 दिनांक 27.10.2023 पेश अदालत कर निवेदन है बाद मुलाहिजा स्वीकृत फरमावे।


अलि० जिला कलक्टर (प्रशासक)
श्रीगंगानगर

पूर्व में निगरानी प्रकरण संख्या 33/2023 अनवानी उमेश कुमार पुत्र स्व श्री आदराम बनाम विनोद कुमार पुत्र श्री रामप्रताप एवं निगरानी प्रकरण संख्या 34/2023 अनवानी उमेश कुमार पुत्र स्व. श्री आदराम बनाम उग्रसैन पुत्र श्री रामप्रताप में विनोद कुमार एवं उग्रसैन के नाम से जारी पट्टे निम्न आधार पर खारिज किये गये हैं :-



ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों के विपरीत जाकर गैर-निगरानीकर्ता संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध पट्टा पत्रावली में गैरनिगरानीकर्ता संख्या -1 द्वारा जो आवेदन किया गया वह किसे आवेदन किया गया व कौनसी पंचायत के लिए किया गया किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं है। मौका नक्शा एवं वार्ड पंच रिपोर्ट में किसी वार्ड पंच व सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रस्तुत शपथ पत्र में किसी भी साक्षी के हस्ताक्षर नहीं हैं। भूखण्ड की रंगीन फोटो प्रस्तुत नहीं हैं। कार्यालय आदेश गठित कमेटी हेतु जारी कार्यालय आदेश किसके द्वारा जारी किया गया कोई पदनाम व हस्ताक्षर व किस तारीख को जारी किया गया अंकित नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट नियम 146 पूर्ण रूप से रिक्त है। एवं अन्य जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी थी वह पूर्ण रूप से किसके द्वारा की जानी चाहिए अंकित नहीं है। यह एक साईकलो स्टाईल प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों के तहत नहीं की गई है।

परन्तु वर्तमान उक्त निगरानी प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता सन्दीप पुत्र मन्नीराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के नाम से जारी पट्टा की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त पट्टा किस अहाता का जारी किया गया है का कोई अंकन नहीं है। प्रार्थी गैरनिगरानीकर्ता संख्या-1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भी यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि उसे पट्टा किस अहाता का चाहा जा रहा है एवं वह ग्राम पन्नीवाला में किस वार्ड में निवास करता है व वहां कितने समय से निवास कर रहा है। नक्शा मौका में वार्ड पंच वार्ड नम्बर 03 ग्राम पंचायत पन्नीवाला द्वारा जो रिपोर्ट की गई है उसमें कहीं यह अंकित नहीं किया है कि उसके द्वारा किस भूखण्ड की रिपोर्ट की जा रही है पूर्ण रिपोर्ट रिक्त/खाली पेश की गई है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया है उसमें भी उसके द्वारा कही यह अंकित नहीं किया है कि वह किस वार्ड का निवासी है एवं उसके द्वारा किस भूखण्ड का पट्टा चाहा जा रहा है। भूखण्ड की रंगीन फोटो फार्म पर चस्पा की गई है वह किस भूखण्ड की है, कहीं अंकन नहीं किया गया है। कार्यालय आदेश जो जारी किया गया है कब जारी किया एवं किस नम्बर व दिनांक से जारी किया गया का अंकन नहीं है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट, आज्ञाओं की सूचि में कही यह अंकन नहीं है कि उक्त पालना किस अहाता के लिए की जा रही है। मुख्य बिन्दु गैरनिगरानीकर्ता सन्दीप कुमार द्वारा जो 100/- का शपथ पत्र पेश किया गया है में कही यह अंकित नहीं उक्त अहाता कौनसा है व उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन निवास कर रहा है। ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के आवंटन/नियमन नियमों व प्रावधानों की पालना होना नहीं पाया जाता है। ना ही पुलिस थाना लालगढजाटान की एफ.आई.आर. संख्या

असि० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

186/2023 में थानाधिकारी द्वारा उक्त विवादित प्लॉट पर कब्जा गैरनिगरानीकर्ता का होना बताया है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जो रेकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया है, उसके अनुसार गैरनिगरानीकर्ता संख्या-1 को ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिवत् प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। निगरानी के साथ प्रस्तुत पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए एवं राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों की पालना किए बिना अवैध रूप से जारी किया जाना पाया जाता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संदीप कुमार के नाम से ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.01.2022 की पालना में दिनांक 06.01.2022 को जारी निगरानीधीन पट्टा संख्या 11 निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)



अति० जिला कलेक्टर
अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
प्रशासन, श्रीगंगानगर।
श्रीगंगानगर